राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः प 4(IV)/कृ.यंत्र/2017–18/ 2499-2722 दिनांकः 03/7/2017

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद.....................................।

विषयः– सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन (SMAM) योजनान्तर्गत अभिलक्षित (Selected) गांवों में कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश वर्ष 2017–18 बाबत्।

कृषि यंत्रीकरण का लाभ राज्य के कृषकों, विशेष रूप से लघु एवं सीमान्त कृषकों, जो अपनी सीमित आय के कारण उन्नत एवं मंहगे कृषि उपकरणों का क्रय करने में सक्षम नहीं हैं, तक पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन (SMAM) योजना के तहत राज्य के ऐसे जिलों जहां फार्म पॉवर की उपलब्धता कम है, में **अभिलक्षित (Selected) गांवों में कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना** का क्रियान्वयन किया जाना निश्चित किया गया है।

इस योजना के अन्तर्गत इन **अभिलक्षित (Selected) गांवों** के कृषकों के स्वयं सहायता समूह, कृषकों के सहकारी संगठन तथा कृषक उत्पादक संगठन एवं इस प्रकार की अन्य संस्था, अपने लाभार्थी सदस्यों को कृषि कार्यों के लिये उन्नत कृषि मशीन एवं उपकरण के उपयोग को प्रोत्साहन देने हेतु फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिये वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र होगी।

भारत सरकार की सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन (SMAM) योजना के तहत **अभिलक्षित (Selected) गांवों में कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत** अधिकतम परियोजना लागत राशि रू. 10.00 लाख के **फार्म मशीनरी बैंक** की स्थापना के लिए **लागत राशि का अधिकतम** 80 प्रतिशत अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। **योजना** के भारत सरकार से प्राप्त दिशा–निर्देशएवं सामान्य निर्देश संलग्न हैं।

इस परिपेक्ष्य मे **अभिलक्षित (Selected) गांवों में कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना** के भारत सरकार से प्राप्त दिशा–निर्देश तथा योजना के सामान्य निर्देश संलग्न कर आप से अनुरोध है **कि आपके जिले से योजना क्रियान्वयन हेतु प्रस्ताव आगामी 11 अगस्त 2017 तक अग्रेषित करने का श्रम करे।**

(विकास सीतारामजी भाले)
आयुक्त, कृषि

क्रमांक–प.4 (iv) यंत्र/2017–18/ 2499–2722 दिनांक: 03/7/2017

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. निजी सचिव, माननीय कृषि मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. समस्त संभागीय आयुक्त...।
4. समस्त जिला कलेक्टर..।
5. निदेशक, अनुसंधान, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर।
6. डीन, कृषि प्रौद्योगिकी एवं अभियांत्रिकी महाविद्यालय, उदयपुर।
7. निदेशक, अनुसंधान, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर।
8. निदेशक (रा.कृ.प्रबंध संस्थान/आत्मा समेति) दुर्गापुरा, जयपुर।
9. अतिरिक्त निदेशक, कृषि (आदान/विस्तार/अनुसंधान/समन्वय), मुख्यालय, जयपुर।
10. संयुक्त निदेशक, कृषि (योजना/आईसोपॉम/आदान/प्र0एवंमू0/पौ0सं0/एटीसी/–शस्य ज0उ0प्र0/गु0नि0/रसायन/विस्तार/आर.के.वी.वाई), मुख्यालय जयपुर।
11. मुख्य सांख्यिकी अधिकारी मुख्यालय जयपुर।
12. समस्त खंडीय संयुक्त निदेशक, कृषि (वि0/तिलहन)...।
13. परियोजना निदेशक, कृषि (विस्तार) सी.ए.डी. कोटा।
14. उप निदेशक, कृषि (विस्तार/बीज/सूचना/सांख्यिकी/योजना/रसायन/एसीपी), मु0 जयपुर।
15. समस्त उप निदेशक, कृषि (विस्तार), जिला परिषद/ईगानप, बीकानेर..।
16. समस्त सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार),..।
17. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, सूचना शाखा, मुख्यालय, जयपुर।
18. किसान कॉल सेन्टर, कृषि आयुक्तालय, जयपुर।
19. अध्यक्ष, एग्रीकल्चर ईक्विपमेण्ट मैन्यूफेक्चिरिंग सोसाईटी, जयपुर।
20. समन्वयक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) को प्रेषित कर अनुरोध है कि राज्य में कृषकों की सहकारी समितियों/कृषक उत्पादक संगठनों/ स्वयं सहायता समूहों, के द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली **अभिलक्षित (Selected) गांवों में कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना** हेतु प्राथमिकता के आधार पर वित पोषण सुनिश्चित करने हेतु दिशा–निर्देश सदस्य बैंकर्स को भिजवाने की व्यवस्था करने का श्रम करे।
21. आरक्षी पत्रावली।

(के. एन. खण्डेलवाल)
उप निदेशक कृषि (अभि0)

अभिलक्षित (Selected) गांवों में कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना

1. **अभिलक्षित (Selected) गांवों में कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना के उद्देश्यः–**

1.1 ऐसे अभिलक्षित (Selected) गांवों में जहां कृषि यंत्रीकरण का स्तर कम है, में स्थानीय कृषकों के स्वयं सहायता समूहों, कृषकों की सहकारी समितियों, कृषक उत्पादक संगठनों के द्वारा अपने लाभार्थी सदस्यों को यांत्रिक कृषि संक्रियाओं अपनाने हेतु प्रोत्साहित करने हेतु फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना किया जाना।

1.2 सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन के कम्पोनेन्ट संख्या 4 के अन्तर्गत स्थापित फार्म मशीनरी बैंक (कस्टम हायरिंग केन्द्र) की सहायता से बड़े क्षेत्र में प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया जाना।

2. **परिचालन क्षेत्र**

2.1 प्रत्येक राज्य में ऐसे जिलों का चयन किया जायेगा जहां फार्म पावर की उपलब्धता कम है।

2.2 इन चिन्हित जिलों में से ही इस योजना के क्रियान्वयन हेतु गांवों का चयन किया जायेगा।

2.3 इन अभिलक्षित (Selected) गांवों के कृषकों के स्वयं सहायता समूह, कृषकों के सहकारी संगठन तथा कृषक उत्पादक संगठन एवं इस प्रकार की अन्य संस्थाए, अपने लाभार्थी सदस्यों के द्वारा मशीन एवं उपकरण के उपयोग हेतु फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिये वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र होगी।

2.4 मशीनों/उपकरणों का चयन सब मिशन ऑन एग्रीकलचरल मेकेनाईजेशन के अन्तर्गत स्वीकृत कृषि यंत्रों/उपकरणों जिसका विवरण **परिशिष्ठ '1'** पर उपलब्ध है, से किया जायेगा।

2.5 सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन कम्पोनेन्ट संख्या (4) के अन्तर्गत स्थापित फार्म मशीनरी बैंक (कस्टम हायरिंग केन्द्रो) को कृषि यंत्रों/मशीनों के सब मिशन के दिशा–निर्देशों बिन्दु 11.1.4 के अनुसार प्रदर्शन कार्यक्रमों हेतु सम्मिलित किया जायेगा।

3. **वित्तीय सहायताः–**

3.1 चयनित गांव अधिकतम परियोजना लागत राशि रू. 10.00 लाख के फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना करने हेतु पात्र होगा।

3.2 ऐसे फार्म मशीनरी बैंक को परियोजना लागत का अधिकतम 80 प्रतिशत वित्तीय सहायता देय होगी।

3.3 उन्नत कृषि यंत्रों/मशीनों के प्रदर्शन हेतु वित्तीय सहयता सब मिशन के दिशा–निर्देशों बिन्दु 11.1.4 के अनुसार देय होगी।

4. **प्रबोधन/अनुश्रवणः–**

4.1 जिला कृषि अधिकारी (उप निदेशक, कृषि (वि0) जिला परिषद कार्यालय) द्वारा इन फार्म मशीनरी बैंकों का पर्यवेक्षण इनकी संचालन लागत एवं कस्टम हायरिंग केन्द्रों के द्वारा किये जाने वाले प्रदर्शन कार्य क्रय के संदर्भ में किया जायेगा।

5. **अभिलक्षित (Selected) गांवों में कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना के सामान्य दिशा–निर्देश**

5.1 कृषकों के स्वयं सहायता समूहों, कृषकों की सहकारी समितियों, कृषक उत्पादक संगठनों आदि के द्वारा ऐसे ग्राम जहाँ कृषि यंत्रीकरण की यथेष्ट प्रगति नहीं है, का चयन "अभिलक्षित (Selected) गांवों में कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना" के अन्तर्गत फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना हेतु किया जा सकता है। इस प्रकार स्थापित किये जाने वाले फार्म मशीनरी बैंक की अधिकतम लागत राशि रू. 10.00 लाख होगी। योजनान्तर्गत फार्म मशीनरी बैंक की लागत का 80 प्रतिशत अनुदान देय है।

5.2 कृषकों की सहकारी समितियों, कृषकों के स्वयं सहायता समूहों, कृषक उत्पादक संगठनों आदि के द्वारा स्थापित किये जाने वाले इन फार्म मशीनरी बैंक में रखे गये कृषि उपकरणों/यंत्रों का उपयोग उसके सदस्यों के द्वारा ही किया जा सकेगा।

5.3 कृषकों के स्वयं सहायता समूहों, कृषकों की सहकारी समितियों, कृषक उत्पादक संगठनों के सदस्य परस्पर सम्बन्धित/एक ही परिवार से नहीं होने चाहिये।

5.4 कृषकों के स्वयं सहायता समूहों, कृषकों की सहकारी समितियों, कृषक उत्पादक संगठनों आदि की अन्य पात्रता निम्नानुसार होगी :–

5.5 <u>कृषकों के स्वयं सहायता समूह</u>

5.5.1 कम से कम एक वर्ष से सक्रिय होना चाहिये।

5.5.2 अपने संसाधनों से बचत और ऋण दिया होना चाहिये।

5.5.3 समुचित खाते एवं रिकॉर्ड रखे होने चाहिये।

5.5.4 लोकतांत्रिक तरीके से काम होना व होते दिखना चाहिये जहां सभी संघों की सुनी जाती हों।

5.5.5 एक दूसरे की सहायता करने और मिलकर काम करने के लिये बनाया गया होना चाहिये और विभाग इस बात से संतुष्ट होना चाहिये कि समूह का गठन केवल योजना में भाग लेने और उसके लाभ प्राप्त करने के लिये ही नहीं बनाया गया है।

5.5.6 सदस्यों की पृष्ठभूमि और हित एक समान होने चाहिये।

5.5.7 कृषको के स्वयं सहायता समूह में न्यूनतम 5 एवं अधिकतम 20 सदस्य होने चाहिये।

5.6 <u>कृषकों की सहकारी समिति</u>

5.6.1 कृषकों की सहकारी समिति कम से कम एक वर्ष की अवधि के पूर्व पंजीकृत एवं सक्रिय होनी चाहिये।

5.6.2 समिति द्वारा सामान्य सभा तथा कार्यकारी समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण संधारित किया होना चाहिये।

5.6.3 समिति के अन्दर लोकतांत्रिक तरीके से काम होना व होते दिखना चाहिये जहां सभी सदस्यों की सुनी जाती हों।

5.6.4 विभाग इस बात से संतुष्ट होना चाहिये कि समिति का गठन केवल योजना में भाग लेने और उसके लाभ प्राप्त करने के लिये ही नहीं बनाया गया है।

5.6.5 सदस्यों की पृष्ठभूमि और हित एक समान होने चाहिये।

5.7 <u>कृषक उत्पादक संगठन</u>

5.7.1 स्वयं सहायता समूह **को** कृषक उत्पादक संगठन में कम से कम एक वर्ष की अवधि के पूर्व पंजीकृत एवं सक्रिय होना चाहिये।

5.7.2 स्वयं सहायता समूह/कृषक उत्पादक संगठन द्वारा समस्त रिकॉर्ड का समुचित ढंग से संधारण किया होना चाहिये।

5.7.3 विभाग इस बात से संतुष्ट होना चाहिये कि समूह का गठन केवल योजना में भाग लेने और उसके लाभ प्राप्त करने के लिये ही नहीं बनाया गया है।

5.7.4 सदस्यों की पृष्ठभूमि और हित एक समान होने चाहिये।

6. क्रियान्वयन :–

6.1 कृषि आयुक्तालय द्वारा अभिलक्षित (Selected) गांवों में कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन के लक्ष्यों का जिलेवार निर्धारण किया जायेगा तथापि क्षेत्र विशेष की मांग तथा प्राप्त आवेदनों के अनुसार समीक्षा उपरान्त लक्ष्यों का पुर्ननिधारण किया जा सकेगा।

6.2 संबंधित जिले में उप निदेशक, कृषि (विस्तार) जिला परिषद् कार्यालय द्वारा योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार करते हुए आवेदन आमंत्रित किये जायेगें। इच्छुक आवेदक द्वारा आवश्यक अभिलेखों सहित आवेदन (निर्धारित प्रारुप परिशिष्ठ–2 प्रस्तुत किया जावेगा।

6.3 संबंधित जिले में उप निदेशक, कृषि (विस्तार) जिला परिषद् कार्यालय द्वारा योग्य आवेदनों की सूची आवेदकों द्वारा आवेदन पत्र में उपलब्ध कराये गये तथ्यों के सत्यापन, प्रस्तावित कृषि यंत्रों की क्षेत्र में उपादेयता का निर्धारण करते हुये "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर तैयार की जायेंगी।

6.4 इस प्रकार तैयार की गई सूचियों पर जिला स्तरीय समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

6.5 प्राप्त आवदनों की अनुमोदित सूची सम्बन्धित जिले के उप निदेशक, कृषि (वि0) जिला परिषद कार्यालय द्वारा अपनी अनुशंसा के साथ खण्डीय संयुक्त निदेशक के माध्यम से आयुक्तालय को प्रशासनिक स्वीकृति हेतु अग्रेषित की जायेगी।

6.6 आयुक्तालय स्तर से प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त जिले में उप निदेशक, कृषि (विस्तार) जिला परिषद् कार्यालय इस प्रकार प्राप्त प्रकरणों को यदि आवश्यक हो तो, आवेदक द्वारा चाहे गये बैंकों में ऋण स्वीकृति की कार्यवाही हेतु प्रेषित करेंगें।

6.7 सम्बन्धित जिले के उप निदेशक, कृषि (वि0) जिला परिषद कार्यालय द्वारा आवदेक को बैंक से ऋण स्वीकृति/सहमति पत्र जारी होने के आधार पर प्रकरण आयुक्तालय को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जायेगा।

6.8 विभाग से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात कृषकों के स्वयं सहायता समूह, कृषकों के सहकारी संगठन तथा कृषक उत्पादक संगठन एवं इस प्रकार की अन्य संस्थाओं द्वारा बैंक के आवश्यक ऋण दस्तावेजों का निष्पादन 7 दिवस में किया जाना होगा। तत्पश्चात बैंक द्वारा नियमानुसार योजना के अनुसार ट्रेक्टर एवं अन्य कृषि यंत्र हेतु ऋण प्रदान कराया जायेगा।

6.9 फार्म मशीनरी बैंक में क्रय की गई मशीनों/यंत्रों एवं ट्रेक्टर का बीमा कृषकों के स्वयं सहायता समूह/कृषकों के सहकारी संगठन/कृषक उत्पादक संगठन द्वारा स्वयं के व्यय पर किया जाना अनिवार्य होगा।

6.10 बैंक से ऋण स्वीकृत/जारी होने के उपरान्त तीन माह की अवधि में कृषकों के स्वयं सहायता समूह/कृषकों के सहकारी संगठन/कृषक उत्पादक संगठन द्वारा फार्म मशीनरी बैंक का संचालन आरम्भ किया जाना अनिवार्य होगा जिसका भौतिक सत्यापन खण्डीय संयुक्त निदेशक कार्यालय द्वारा किया जायेगा। भौतिक सत्यापन हेतु गठित की जाने वाली समिति में सम्बन्धित सहायक निदेशक, खण्डीय सहायक अभियंता तथा संबन्धित बैंक के शाखा प्रबन्धक अनिवार्य रूप से सम्मिलित किये जायेगे । समिति द्वारा भौतिक सत्यापन आवेदक की उपस्थिति में किया जाएगा।

6.11 योजनान्तर्गत क्रय किए गए ट्रेक्टर एवं अन्य कृषि मशीनों का उपयोग सदस्यों के मध्य ही किये जाने के सम्बन्ध में कृषकों के स्वयं सहायता समूह/कृषकों के सहकारी संगठन/कृषक उत्पादक संगठन द्वारा एक शपथ पत्र (undertaking) दिया जाना होगा। फार्म मशीनरी बैंक के यंत्रों/उपकरणों को कृषि मौसम में केवल कृषि संबंधित कार्य हेतु उपयोग में लाया जायेगा वर्षाकाल आदि में जब कृषि कार्य नहीं होते हैं तब अकृषि कार्य भी किये जा सकेंगे।

6.12 योजना के अंतर्गत प्रदाय की गई मशीनों/उपकरणों/कृषि यंत्रों को सही हालत में रखना होगा। इसका निरीक्षण समय--समय पर विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा।

6.13 कृषकों के स्वयं सहायता समूह/कृषकों के सहकारी संगठन/कृषक उत्पादक संगठन द्वारा सदस्यों के खेतों में किये गये कार्यो का विवरण एक रजिस्टर में निर्धारित प्रारुप में संधारित करके रखा जाना होगा। इनका निरीक्षण भी समय--समय पर विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। विभाग द्वारा चाहे जाने पर केन्द्र को संधारित जानकारियां उपलब्ध करानी होंगी।

6.14 आवेदक द्वारा उपरोक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।

परिशिष्ठ–1

सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन के अन्तर्गत फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग (कस्टम हायरिंग केन्द्र) तथा कस्टम हायरिंग हेतु उच्च प्रौद्योगिकी उच्च उत्पादक उपकरण केन्द्रों हेतु स्वीकृत कृषि यंत्र/उपकरण/मशीनरी।

क्र0 सं0	श्रेणवार यंत्र/मशीनरी का नाम
1	1.1 ट्रेक्टर (08–15 पी.टी.ओ. एच.पी.), ट्रेक्टर (15–20 पी.टी.ओ. एच.पी.), ट्रेक्टर (20 पी.टी.ओ. एच.पी. से अधिक से 40 पी.टी.ओ. एच.पी. तक) तथा ट्रेक्टर (40 पी.टी.ओ. एच.पी. – 70 पी.टी.ओ. एच.पी.)
	1.2 पावर टिलर (**Power Tillers**) (8 बीएचपी से कम), पावर टिलर (8 बीएचपी एवं अधिक)
2	राइस ट्रांसप्लांटर (**Rice Transplanter**)
	(i) स्वचलित राइस ट्रांसप्लांटर - 4 कतार (4 Rows)
	(ii) स्वचलित राइस ट्रांसप्लांटर – 4 कतार से अधिक से 8 कतार तक (Above 4 Rows - 8 Rows) (iii) स्वचलित राइस ट्रांसप्लांटर - 8 कतार से अधिक से 16 कतार तक (Above 8 Rows - 16 Rows)
3	**स्वचलित यंत्र(Self Propelled Machinery)**
	रीपर कम बाईन्डर
4	**विशिष्टिकृत स्वचलित यंत्र (Specialized Self Propelled Machinery)**
	रीपर, पोस्ट होल डिगर/ऑगर, न्यूमेटिक/अन्य प्लान्टर।
5	**स्वचलित उद्यानिकी यंत्र (Self Propelled Horticultural Machinery)**
	फ्रूट प्लकर, ट्री प्रूनरस, फ्रूट हार्वेस्टर, फ्रूट ग्रेडरस, ट्रेक ट्रोली, नर्सरी मिडिया फिलिंग मशीन, मल्टी परपज हाइड्रॉलिक सिस्टम, पावर ऑपरेटेड हार्टीकल्चर टूल्स फार प्रूनिंग, बडिंग, ग्रेटिंग, शियरिंग आदि।
6	**ट्रेक्टर/ पावर टिलर (20 बीएचपी से कम) द्वारा चलित उपकरण (Tractor/Power Tiller (below 20 BHP) Driven Equipments)**
	(अ) भूमि सुधार, जुताई एंव सीड बैड प्रिपरेशन उपकरण (**Land Development, Tillage and Seed Bed Preparation Equipments**) (i) एम.बी.प्लाऊ, डिस्क प्लाउ, कल्टीवेटर, हैरो, लेवलर ब्लेड, केज व्हील, फरो ओपनर, रिजर, वीड स्लेशर, लेजर लेण्ड लेवलर, रिवर्सिबल मेकेनिकल प्लाऊ।
	(ii) रोटावेटर, रोटोपडलर, रिवर्सिबल हाईड्रॉलिक प्लाऊ, फरो ओपनर, बन्ड फार्मर, क्रस्ट ब्रेकर, रोटोकल्टीवेटर, पावर हेरो
	(iii) चीज़ल प्लाऊ
	(ब)बुवाई, रोपण, कटाई एंव खुदाई उपकरण (**Sowing Planting, Reaping and Digging Equipments**) (i) पोस्ट होल डिगर, पोटेटो प्लान्टर, पोटेटो डिगर, ग्राउन्ड नट डिगर, स्ट्रिप टिल ड्रिल, ट्रेक्टर ड्रान रीपर, ओनियन हॉरवेस्टर, राईस स्ट्रॉ चॉपर, जीरो टिल सीड कम फर्टीलाईजर ड्रिल, रेज्ड बेड प्लान्टर, शुगरकेन कटर/स्ट्रीपर, प्लान्टर, सीड ड्रिल, मल्टी क्रोप प्लान्टर, जिरो टिल मल्टीक्रोप प्लान्टर, रिज फरो प्लान्टर
	(ii) टर्बो सीडर, न्यूमेटिक प्लान्टर, न्यूमेटिक वेजीटेबल ट्रांसप्लांटर, न्यूमेटिक वेजीटेबल सीडर, हैप्पी सीडर, प्लास्टिक मल्च लेईंग मशीन, सीड कम फर्टीलाईजर ड्रिल, एक्वा फर्टी सीड ड्रिल, रेज्ड बेड प्लान्टर विद इन्क्लाइन्ड प्लेट प्लान्टर एण्ड शेपर अटेचमेन्ट, मल्चर, सीड ट्रीटिंग ड्रम।
	(स) इंटर कल्टीवेशन उपकरण(**Inter Cultivation Equipments**) ग्रास वीड स्लेशर, राइस स्ट्रा चॉपर, पावर वीडर (2 बीएचपी से कम ईंजन द्वारा चलित)

	(द)अवशिष्ट प्रबंधन हेतु उपकरण/हे एण्ड फॉरेज उपकरण (**Equipments for Residue Management/ Hay & Forrage Equipments)** शुगरकेन थ्रेश कटर, कोकोनट फ्रोन्ड चोपर, रेक, बेलर्स, स्ट्रा रीपर, फीड ब्लॉक मशीन, स्टबल शेवर
	(य) कटाई एवं गहाई उपकरण(3hp hसे कम क्षमता के इंजन/ विद्युत मोटर तथा पॉवर टिलर और 20 BHP ट्रेक्टर से कम क्षमता के ट्रेक्टर द्वारा चलित) **(Harvesting & Threshing Equipments- Operated by engine/electric motor below 3hp and by Power Tiller and Tractor of below 20 BHP tractor)** ग्राउन्ड नट पोड स्ट्रीपर, थ्रेसर, मल्टी क्रोप थ्रेसर, पेडी थ्रेसर, ब्रश कटर, विनोइन्ग फेन, मेज शेलर, स्पाईरल ग्रेडर, रीपर, मोवर, फ्लेल हार्वेस्टर, इनफिल्डर, मोवर श्रेडर (समस्त फसलों/समस्त उद्देश्यों हेतु)।
	(र) चॉफ कटर **(Chaff Cutter)** (3 hp से कम क्षमता के इंजन/विद्युत मोटर तथा पॉवर टिलर और 20 BHP ट्रेक्टर से कम क्षमता के ट्रेक्टर द्वारा चलित)
7	ट्रेक्टर (20 बीएचपी से अधिक से 35 बीएचपी तक) चलित उपकरण **(Tractor (Above 20 - 35BHP) Driven Equipments)**
	(अ) भूमि सुधार, जुताई एंव सीड बैड प्रिपरेशन उपकरण **(Land Development, Tillage & Seed Bed Preparation Equipments)** (i) एम.बी.प्लाऊ,डिस्क प्लाउ, कल्टीवेटर, हैरो, लेवलर ब्लेड, केज व्हील, फरो ओपनर, रिजर, वीड स्लेशर, लेजर लेण्ड लेवलर, रिवर्सिबल मेकेनिकल प्लाऊ।
	(ii) रोटावेटर, रोटोपडलर, रिवर्सिबल हाइड्रॉलिक प्लाऊ, फरो ओपनर, बन्ड फार्मर, क्रस्ट ब्रेकर, रोटोकल्टीवेटर, पावर हेरो
	(iii) चीज़ल प्लाऊ
	(ब) बुवाई,रोपण,कटाई एंव खुदाई उपकरण **(Sowing Planting, Reaping and Digging Equipments)** (i) पोस्ट होल डिगर, पोटेटो प्लान्टर, पोटेटो डिगर, ग्राउन्ड नट डिगर, स्ट्रिप टिल ड्रिल, ट्रेक्टर ड्रान रीपर, ओनियन हॉरवेस्टर, राइस स्ट्रा चॉपर, जीरो टिल सीड कम फर्टीलाईजर ड्रिल, रेज्ड बेड प्लान्टर, शुगर केन कटर/स्ट्रीपर, मल्टी क्रोप प्लान्टर,जिरो टिल, मल्टीक्रोप प्लान्टर, सीड ड्रिल, रिज फरो प्लान्टर, सीड ट्रीटिंग ड्रम, सीड कम फर्टीलाईजर ड्रिल।
	(ii) टर्बो सीडर, न्यूमेटिक प्लान्टर, न्यूमेटिक वेजीटेबल ट्रांसप्लांटर, न्यूमेटिक वेजीटेबल सीडर, हैप्पी सीडर, प्लास्टिक मल्च लेईंग मशीन, एक्वा फर्टी सीड ड्रिल, रेज्ड बेड प्लान्टर विद इन्क्लाइन्ड प्लेट प्लान्टर एण्ड शेपर अटेचमेन्ट, मल्चर।
	(स) इंटर कल्टीवेशन उपकरण **(Inter Cultivation Equipments)** ग्रास वीड स्लेशर, राइस स्ट्रा चॉपर, पावर वीडर (2बीएचपी से अधिक ईंजन चलित)
	(द)अवशिष्ट प्रबंधन हेतु उपकरण/हे एण्ड फॉरेज उपकरण **(Equipments for Residue Management/ Hay & Forrage Equipments)** शुगर केन थ्रेश कटर, कोकोनट फ्रोन्ड चोपर, रेक, बेलर्स, स्ट्रा रीपर, फीड ब्लॉक मशीन, स्टबल शेवर
	(य) कटाई एवं गहाई उपकरण (5hp hpसे कम क्षमता के इंजन/ विद्युत मोटर चलित तथा पॉवर टिलर एंव 35 BHP ट्रेक्टर से कम क्षमता के ट्रेक्टर द्वारा चलित) **Harvesting & Threshing Equipments- (Operated by engine/electric motor below 5hp and by Power Tiller and Tractor of below 35 BHP tractor)** ग्राउन्ड नट पोड स्ट्रीपर, थ्रेसर, मल्टी क्रोप थ्रेसर, पेडी थ्रेसर, ब्रश कटर, मेज शेलर, स्पाईरल ग्रेडर, रीपर, मोवर, फ्लेल हार्वेस्टर, इनफिल्डर, मोवर श्रेडर (समस्त फसलों/समस्त उद्देश्यों हेतु)।
	(र) चॉफ कटर (3hp से अधिक से 5 hp क्षमता तक के इंजन/विद्युत मोटर द्वारा चलित तथा पॉवर टिलर तथा 35 BHP ट्रेक्टर से कम क्षमता के ट्रेक्टर द्वारा चलित)
8	ट्रैक्टर (35 बीएचपी से अधिक) द्वारा चलित उपकरण **(Tractor (Above 35BHP) Driven**

	Equipments)
	<u>(अ) भूमि सुधार , जुताई एंव सीड बैड प्रिपरेशन उपकरण (**Land Development, Tillage & Seed Bed Preparation Equipments**)</u> (i) एम.बी.प्लाऊ, डिस्क प्लाऊ, कल्टीवेटर, हैरो, लेवलर ब्लेड, केज व्हील, फरो ओपनर, रिजर, रिवर्सिबल मेकेनिकल प्लाऊ।
	(ii) वीड स्लेशर, लेजर लेण्ड लेवलर, रोटावेटर, रोटोपडलर, रिवर्सिबल हाईड्रॉलिक प्लाऊ, सब सॉयलर, ट्रेन्च मेकर (पीटीओ ऑपरेटेड), बन्ड फॉरमर (पीटीओ ऑपरेटेड), पॉवर हैरो (पीटीओ ऑपरेटेड), बेकहो लोडर डोजर (ट्रेक्टर ऑपरेटेड), फरो ओपनर, बन्ड फार्मर, क्रस्ट ब्रेकर, रोटोकल्टीवेटर, पावर हेरो।
	(ब) <u>**बुवाई, एंव रोपण उपकरण (Sowing and Planting Equipments)**</u> (i) जीरो टिल सीड कम फर्टीलाईजर ड्रिल, रेज्ड बेड प्लान्टर, सीड ड्रिल, पोटेटो डिगर, ट्रेक्टर ड्रान रीपर, ओनियन हार्वेस्टर, सीड कम फर्टीलाईजर ड्रिल, सीड ट्रीटिंग ड्रम,
	(ii) पोस्ट होल डिगर, पोटेटो प्लान्टर, ग्राउन्ड नट डिगर, स्ट्रिप टिल ड्रिल, राइस स्ट्रॉ चोपर, शुगर केन कटर/स्ट्रीपर/प्लान्टर, मल्टी क्रोप प्लान्टर, जिरो टिल मल्टी क्रोप प्लान्टर, रिज फरो प्लान्टर, टर्बो सीडर, न्यूमेटिक प्लान्टर, न्यूमेटिक वेजीटेबल ट्रांसप्लांटर, न्यूमेटिक वेजीटेबल सीडर, हैप्पी सीडर, कसावा प्लान्टर, मेन्योर (manure) स्प्रेडर, फर्टीलाईजर स्प्रेडर – पीटीओ ऑपरेटेड, प्लास्टिक मल्च लेईंग मशीन, ऑटोमेटिक राइस नर्सरी सोईंग मशीनरी, एक्वा फर्टी सीड ड्रिल, रेज्ड बेड प्लान्टर विद इन्क्लाइन्ड प्लेट प्लान्टर एण्ड शेपर अटेचमेन्ट, मल्चर।
	(स) <u>**इंटर कल्टीवेशन उपकरण(Inter Cultivation Equipments)**</u> ग्रास/वीड स्लेशर, राईस स्ट्रा चॉपर, वीडर (पीटीओ ऑपरेटेड) ।
	(द) <u>**कटाई एवं गहाई उपकरण (5 hp hp से अधिक क्षमता के इंजन/ विद्युत मोटर द्वारा चलित तथा 35 BHP ट्रेक्टर से अधिक क्षमता के ट्रेक्टर द्वारा चलित) Harvesting & Threshing Equipments-(Operated by engine / electric motor above 5 hp and by Tractor of above 35 BHP tractor)**</u> ग्राउन्ड नट पोड स्ट्रीपर, थ्रेसर/मल्टी क्रोप थ्रेसर, पेडी थ्रेसर, चाफ कटर, फोरेज हार्वेस्टर, बर्ड स्केरर, मेज शेलर, स्पाईरल ग्रेडर, रीपर, मोवर, फ्लेल हार्वेस्टर, इनफिल्डर, मोवर श्रेडर (समस्त फसलों/समस्त उद्देश्यों हेतु)।
	(य) **अवशिष्ट प्रबंघन हेतु उपकरण**/ हे एण्ड फॉरेज उपकरण <u>**(Equipments for Residue Management/ Hay & Forrage Equipments)**</u> शुगर केन थ्रेश कटर, कोकोनट फ्रोन्ड चोपर, हे रेक, बेलर्स (राउन्ड), बेलर (रेकटेन्गुलर), वुड चीपर्स, शुगर केन रेटून मैनेजर, कॉटन स्टाल्क अपरुटर, स्ट्रा रीपर, फीड ब्लॉक मशीन, स्टबल शेवर।
9.	**हस्त/पशु चलित कृषि यंत्र/उपकरण (Manual/ Animal Drawn Equipments/Implements)**
	<u>(अ) भूमि सुधार , जुताई एंव सीड बैड प्रिपरेशन उपकरण (**Land Development, Tillage & Seed Bed Preparation Equipments**)</u> एम.बी.प्लाऊ, डिस्क प्लाऊ, कल्टीवेटर, हेरो, लेवलर ब्लेड, फरो ओपनर, रिजर ,पडलर।
	<u>**(ब) बुवाई एंव रोपण उपकरण (Sowing and Planting Equipments)**</u> (i) पेडी प्लान्टर, सीड कम फर्टीलाईजर ड्रिल, रेज्ड बेड प्लान्टर, प्लान्टर, डिबलर, इक्विपमेन्ट्स फॉर रेजिंग पैडी नर्सरी, मार्कर फॉर एस.आर.आई., सीड ट्रीटिंग ड्रम।
	(ii) ड्रम सीडर (4 कतार से कम)
	(iii) ड्रम सीडर (4 कतार से अधिक)
	(स) <u>**कटाई एंव गहाई उपकरण (Harvesting & Threshing Equipments)**</u> (i) ग्राउन्ड नट पोड स्ट्रीपर, थ्रेसर, विनोइंग फेन, ट्री क्लाईम्बर, हॉर्टीकल्चर हेण्ड टूल्स, मेज शैलर, फीड ब्लॉक मशीन, स्पाईरल ग्रेडर ।
	(ii) चॉफ कटर (3 फीट तक)
	(iii) चॉफ कटर (3 फीट से अधिक)
	(द) <u>**इंटर कल्टीवेशन उपकरण(Inter Cultivation Equipments)**</u> ग्रास वीड स्लेशर, वीडर, कोनो वीडर, गार्डन हेन्ड टूल्स।

10.	उद्यानिकी/पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी इक्विपमेन्ट्स (Horticulture / Post Harvest Technology Equipments)
	(अ) मेन्युअल हार्टीकल्चरल इक्विपमेन्ट(Manual Horticultural Equipments))
	(i) एल्युमिनियम लेडर/लेडर
	(ii) एल्युमिनियम का पोल
	(iii) प्लकर
	(ब) स्वचालित/अन्य शक्ति चलित उद्यानिकी मशीनरी (Self Propelled/Other Power Driven Horticultural Equipments)
	(i)चेन सा/व्हील बरो/मेंगो ग्रेडर/प्लान्टर तथा उद्यानिकी फसलों हेतु अन्य उपयुक्त स्वचालित मशीनरी एवं उपकरण
	(स) खाद्यान, ऑयल सीड हेतु फसल कटाई उपरान्त उपकरण तथा अन्य उद्यानिकी उपकरण (Post Harvest Equipments for Food Grains, OilSeeds and Horticultural Equipments)
	प्राथमिक प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण के लिये फसल कटाई उपरान्त प्रौद्योगिकियों की इकाई की स्थापना मूल्य संवर्धन कम लागत के वैज्ञानिक भण्डारण, पैकेजिंग इकाईयाँ तथा प्रोडक्शन केचमेट में बाय–प्रोडक्ट के प्रबंधन हेतु प्रौद्योगिकियाँ
	(i) मिनि राइस मिल
	(ii) मिनि दाल मिल
	(iii) मिलेट मिल
	(iv) ऑयलमिल विथ फिल्टर प्रेस (सभी प्रकार के उद्यानिकी/खाद्यान/ऑयल सीड फसलों हेतु)
	(v) एक्सट्रेक्टर (सभी प्रकार के उद्यानिकी/खाद्यान/ऑयल सीड फसलों हेतु)
	(vi) पोमग्रेनेट एरिल एक्सट्रेक्टर
	vii) कस्टर्ड एपल पल्पर (सभी प्रकार के उद्यानिकी/खाद्यान / ऑयल सीड फसलों हेतु) (viii) डीहाइड्रेशन इकाई/प्रिकिंग मशीन/हयुमिडिफायर (सभी प्रकार के उद्यानिकी/खाद्यान/ऑयल सीड फसलों हेतु) (ix) पेकैजिंग मशीन (सभी प्रकार के उद्यानिकी/ खाद्यान/ऑयल सीड फसलों हेतु)
	(x) समस्त प्रकार के शक्तिचलित डिहस्कर/शैलर/थ्रेसर/ हारवेस्टर/डी–स्पाईकिंग/डीकोनिग मशीन/ पीलर/स्पिल्टर /स्ट्रिपर (सभी प्रकार के उद्यानिकी /खाद्यान/ऑयल सीड फसलों हेतु)
	(xi) समस्त प्रकार के बॉयलर/स्टीमर/ सोलरड्रायर (सभी प्रकार के उद्यानिकी/खाद्यान/ऑयल सीड फसलों हेतु)
	(xii) समस्त प्रकार की वाशिंग मशीन (सभी प्रकार के उद्यानिकी/खाद्यान/ऑयल सीड फसलों हेतु)
	xiii) समस्त प्रकार के ग्राईण्डर/पल्वराईजर/पोलिशर (सभी प्रकार की उद्यानिकी/खाद्यान/ऑयल सीड फसलों हेतु)
	(xiv)समस्त प्रकार के क्लीनर कम ग्रेडर/ग्रेडियंट सेपरेटर/ स्पेसिफिक ग्रेविटी सेपरेटर (समस्त प्रकार के उद्यानिकी/खाद्यान/ ऑयलसीड फसलों हेतु)
11.	पौध संरक्षण उपकरण (Plant Protection Equipments)
	(a) मेन्युअल स्प्रेयर – नेपसेक/फुट ऑपरेटेड स्प्रेयर
	(b) शक्ति चलित नेपसेक स्प्रेयर/पावर ऑपरेटेड ताइवान स्प्रेयर (क्षमता 8 से 12 लीटर)
	(c) शक्ति चलित नेपसेक स्प्रेयर/पावर ऑपरेटेड ताइवान स्प्रेयर (क्षमता 12 लीटर से अधिक से 16 लीटर)
	(d) शक्ति चलित नेपसेक स्प्रेयर/पावर ऑपरेटेड ताइवान स्प्रेयर (क्षमता 16 लीटर से अधिक)
	(e) ट्रेक्टर माउन्टेट/ऑपरेटेड स्प्रेयर (20 बीएचपी से कम)
	(f) ट्रेक्टर माउन्टेट/ऑपरेटेड स्प्रेयर (35 बीएचपी से कम)
	(g) इकोफ्रेन्डली लाइट ट्रेप
	(h) ट्रेक्टर माउन्टेट/ऑपरेटेड स्प्रेयर (35 बीएचपी से अधिक)

	(i) इलेक्ट्रोस्टेटिक स्प्रेयर
12	**एनीमल डिटरेंट बायो अक्स्टिक्स इक्विपमेंट (Animal Deterrent Bioacoustics Equipment)**
.	(i) सोलर ऑपरेटेड/इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड एनीमल **डिटरेंट बायो अक्स्टिक्स इक्विपमेंट** (विद सोलर पेनल) [Solar Operated / Electric operated Animal deterrent bioacoustics equipment (with solar panel)]
	(ii) इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड एनीमल **डिटरेंट बायो अक्स्टिक्स इक्विपमेंट** (विदाउट सोलर पेनल) [Electric Operated Animal deterrent bioacoustics equipment (without solar panel)]
13.	**हाइड्रोपोनिक मशीन फॉर रेजिंग नर्सरी ऑफ क्रॉप्स (Hydroponic Machine for raising nursery of crops)**
	सोलर ऑपरेटेड/इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड हाइड्रोपोनिक मशीन फॉर रेजिंग नर्सरी ऑफ क्रॉप्स [Solar Operated / Electric operated Hydroponic Machine for raising nursery of crops]

परिशिष्ठ–2

अभिलक्षित (Selected) गांवों में कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने हेतु आवेदन

आवेदक की स्वयं प्रमाणित नवीनतम फोटो

उप निदेशक,कृषि (विस्तार)
जिला परिषद..................... ।

विषय :– "सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन" योजना मे चयनित ग्राम में कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने हेतु आवेदन

महोदय,

हमारा समूह विषयांतर्गत चयनित ग्राम में कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने का इच्छुक है। हमारे समूह से संबंधित विवरण निम्नानुसार है :–

1 समूह का नाम :
2 समूह का प्रकार :
3 समूह के गठन की दिनांक :
(प्रमाण की छायाप्रति संलग्न करें)

4 ग्राम, ग्राम खण्ड एवं जिला जिसमें समूह कार्यरत है। :
- ग्राम :
- ग्राम पंचायत :
- विकासखण्ड :
- जिला :

5 समूह के अध्यक्ष/प्राधिकृत पदाधिकारी का विवरण :
- नाम :
- पता :
- शैक्षणिक योग्यता :
- स्वंय के नाम से कृषि भूमि के स्वामित्व का विवरण (प्रमाण की छायाप्रति संलग्न करें) :

आधार कार्ड नम्बर एवं भामाशाह :
- कार्ड नम्बर :
- फोन/मोबाईल नम्बर :

6. **समूह के सदस्यों का विवरण**

क्र. सं.	समूह के सदस्य का नाम	ग्राम	शैक्षणिक योग्यता	जति (जाति प्रमाण पत्र की स्वंय द्वारा प्रमाणित छायाप्रति लगाये)	भामाशाह/आधार कार्ड नं.	स्वंय के नाम से कृषि भूमि का स्वामित्व का विवरण (प्रमाण की छायाप्रति संलग्न करें)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6						
7						

8						
9						
10						

7.फार्म मशीनरी बैंक में रखे जाने वाले कृषि उपकरण (विभाग द्वारा अनुमोदित निर्माताओं/विक्रेता से क्रय किये जाने वाले कृषि यंत्रों के कोटेशन संलग्न करें)

क्र.सं.	फार्म मशीनरी बैंक में रखे जाने वाले कृषि उपकरण का नाम	संख्या	मेक एवं निर्माता	कोटेशन के आधार पर अनुमानित कीमत
1	ट्रेक्टर			
2	कृषि यंत्र			
3	कृषि यंत्र			
4	कृषि यंत्र			
5	अन्य मशीनें			
6	अन्य मशीनें			
7	अन्य मशीनें			
8	योग			

8. **समूह द्वारा पूर्व में प्राप्त ऋण का विवरण :–**

क. सं.	बैंक का नाम	प्रयोजन जिसके लिये ऋण लिया गया	राशि	वर्तमान बकाया राशि

9. **बैंक का विवरण जहां से समूह ऋण प्राप्त करना चाहता है।**

1	बैंक का नाम	:–	
2	बैंक शाखा का विवरण	:–	

10. **समूह के पास उपलब्ध संसाधनो का विवरण :–**

क्रमांक	संसाधन	विवरण

मैं...घोषणा करता हूं कि योजना के नियम तथा शर्तो का पालन करने हेतु समूह बाध्य रहेगा । समूह बैंक ऋण में अपने हिस्से की मार्जिन मनी देने में सक्षम है।

ग्राम :–
दिनांक :–

हस्ताक्षर
(आवेदक का नाम)
समिति/संस्था की स्थिति में पदनाम
दें तथा सील भी लगाये